	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 16, मंगलवार, *शाके* 1947- जनवरी 06, 2026 Pausa 16, Tuesday, Saka 1947- January 06, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 01, 2026

संख्या प.6(5)कृषि/ग्रुप-2/1998 :-जैसा कि इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28.10.1969 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, आबूरोड की स्थापना की गई थी।

अब कृषि उपज मण्डी समिति, आबूरोड द्वारा मण्डी क्षेत्र ग्राम मण्डार मे गौण मण्डी यार्ड घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 5 की उपधारा 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम मण्डार में गौण मण्डी यार्ड स्थापित करने की घोषणा करती है, जिसकी सीमाऐं निम्न प्रकार से होगीः-

पूर्व दिशा मे - ग्राम भीलडा सडक
पश्चिम दिशा मे - खसरा नम्बर 2081
उत्तर दिशा मे - ग्राम पादर सडक
एवं दक्षिण दिशा मे - खसरा नम्बर 1960

गौण मण्डी यार्ड मण्डार की उक्त सीमाओं के अन्दर निर्मित भवन, दुकानें एवं भू-भाग आदि सम्मिलित होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

स्नेह लता हारीत,
शासन उप सचिव।

16765
राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।